

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2018—श्रावण 15, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2018

संशोधन

क्र. डी-15-44-2018-चौदह-3.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-15-30-83-चौदह-3 (ए), दिनांक 7 सितम्बर 1983 में राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में शब्द "ग्राम सुकतवा के खसरा क्रमांक 218/1 रकबा 8.70 एकड़ भूमि के क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "ग्राम कालाआखर के खसरा क्रमांक 218/1 रकबा 8.70 एकड़ भूमि का क्षेत्र" प्रतिस्थापित किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2018

क्र. डी-15-44-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th August 2018

AMENDMENT

No. D-15-44-2018-XIV-3.—The State Government hereby makes the following amendment in the notification of this department No. D-15-30-83-XIV-3 (A), dated 7th September 1983:—

In the said notification for the word "Survey No. 218/1 Rakba 8.70 Acres of Village Suktaba" the Word "Survey No. 218/1 Area of 8.70 Acres Land of Village Kaala Aakher" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

UPENDRANATH SHARMA, Dy. Secy.

875